

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 22528/2017

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री कैलाश चंद जाट पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी ए/45/9 आदर्श नगर, शिवम वाटिका रोड, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

से जुड़ी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16605/2019

प्रबंध समिति, श्री महावीर अपर प्राइमरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उषा झामनानी पत्नी श्री रमेश झामनानी, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी एच-482, कीर्ति नगर, शास्त्री नगर, विस्तार भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 22529/2017

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री मांगी लाल शर्मा पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम मुंडेता, पोस्ट भोजपुर, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 22564/2017

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री भंवर सिंह राणावत पुत्र श्री भोपाल सिंह राणावत, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम और पोस्ट रेडवास वाया सवाईपुर, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 22565/2017

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री मथुरा लाल शर्मा, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी मकान संख्या 9, भगातालाला रोड आदर्श नगर भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 22566/2017

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी 39/1037 शिवाजी मार्ग, सांगानेर रोड भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1883/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री कृष्णकांत पाण्डेय पुत्र श्री कमल देव पाण्डेय, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी जे-425, आजाद नगर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1888/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती राजेश्वरी सिसोदिया पत्नी श्री सुशील कुमार मेहता, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी डी-447, आजाद नगर, भीलवाड़ा
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1889/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती राजश्री मोदी पत्नी श्री जिनेंद्र कुमार मोदी, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी 178, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1893/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री समर्थ लाल कुमावत पुत्र श्री राम करण कुमावत, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी ए-145/6 गली संख्या 12, आदर्श नगर, कोटा-रोड, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1894/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री सुरेंद्र कुमार सोनी पुत्र श्री बनवारी लाल सोनी, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी मंडल बड़े मंदिर के पास, तहसील मंडल, जिला - भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21423/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री गंगा सहाय, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी ए 22, चित्रकूट नगर, महिला आश्रम कॉलेज के पास, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21433/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री सुखदेव गुर्जर पुत्र श्री रायमल गुर्जर, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम बैरा, तहसील-मंडल, भीलवाड़ा
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21437/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री देवी लाल जाट पुत्र श्री नारायण जाट, आयु लगभग 55 वर्ष, द्वारा श्री जगदीश जाट, सांगानेर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21445/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री अरुण कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम चंद्र मिश्रा, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी देवनारायण कॉलोनी, आजाद नगर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21447/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री सत्य नारायण शर्मा पुत्र नानू राम शर्मा, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी दाढ़ी धाम रोड, शिवाजी नगर, फ्लोरा होटल के पास, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21536/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री बसंत कुमार जोशी पुत्र श्री बृज मोहन जोशी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी एच 453, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21539/2018

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री योगेश कुमार मित्तल पुत्र श्री भगवान लाल मित्तल, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ए 102, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16603/2019

प्रबंध समिति, श्री महावीर अपर प्राइमरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती चंदा सारस्वत पत्नी श्री हरित कुमार सारस्वत, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी 59 सी, मुकेश मेडिकल के सामने, सुभाष नगर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16604/2019

प्रबंध समिति, श्री महावीर अपर प्राइमरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सुनीता जैन (पनगड़िया) पत्नी श्री अरुण कुमार पनगड़िया, आयु लगभग 57 वर्ष, पनगड़िया भवन, आमलीओ की बाड़ी, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16610/2019

प्रबंध समिति, श्री महावीर अपर प्राइमरी स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सुशीला जैन पत्नी श्री कपूर चंद जैन, आयु लगभग 52 वर्ष, ए-99, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3046/2020

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी (उच्च) स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कुमारी मंजू पाटनी पुत्री श्री कंवर लाल पाटनी, आयु लगभग 59 वर्ष, पुराना टेलीग्राम कार्यालय के पास, मानिक्य नगर, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3050/2020

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी (उच्च) स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री विजय शंकर शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी गली संख्या 12, आदर्श नगर, कोटा रोड, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3059/2020

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी (उच्च) स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती शांता महात्मा पत्नी श्री बी.एल. महात्मा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी ए-23, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3066/2020

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी (उच्च) स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कांता बड़गुजर पत्नी श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी गोपी लाल जी रेबारी का मकान, कानवा खेड़ा, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3134/2020

प्रबंध समिति, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी (उच्च) स्कूल, भीलवाड़ा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती बीना जैन पत्नी श्री जितेंद्र कुमार सिंघवी, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी 216/23, राकेश कुंज, आजाद मोहल्ला, भोपालगंज, भीलवाड़ा।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : डॉ. पी.सी. जैन
 श्री रोहन विश्वकर्मा
 प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सांवर चौधरी
 श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, अतिरिक्त
 सरकारी वकील।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड

आदेश

आरक्षित : 13/02/2025

घोषित : 21/02/2025

रिपोर्ट योग्य

1. चूंकि इन सभी रिट याचिकाओं में तथ्यों और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए पक्षों के वकील की सहमति से, इन मामलों को अंतिम निपटान के लिए एक साथ लिया जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।

2. सुविधा के लिए, एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 22528/2017 में उल्लिखित प्रार्थना पर विचार किया गया है, जो इस प्रकार है:

“इसलिए विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय अधिकरण से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाए, उसकी जांच करे और अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्णय और अधिनिर्णय को रद्द और अपमार्जित करे।

कोई भी अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे, वह भी याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित की जाए। इस रिट याचिका का खर्च और साथ ही अधिकरण के समक्ष खर्च भी याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुमत किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (जिसे इसके बाद

“नियम 2010” कहा जाएगा) के प्रवर्तन से पहले याचिकाकर्ता-संस्था के साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, और इसके बाद उनकी सेवाएं सरकारी सेवाओं में समायोजित कर ली गईं और सभी प्रत्यर्थियों को 30.06.2011 को कार्यमुक्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों ने राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्था अधिकरण, जयपुर (जिसे इसके बाद “अधिकरण” कहा जाएगा) के समक्ष राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 (जिसे इसके बाद “अधिनियम 1989” कहा जाएगा) की धारा 21 के तहत एक आवेदन दायर करके कई प्रार्थनाएं कीं; उदाहरण के लिए अवकाश नकदीकरण, उपदान, देय वेतन, आदि के भुगतान के लिए। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा सटीक राशि के संबंध में कोई विशिष्ट हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसके अभाव में, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थियों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निहित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-संस्था को विभिन्न शीर्षों के तहत प्रत्यर्थियों को उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी अभी भी सेवा में हैं और एक कर्मचारी चाहे वह निजी संस्था में कार्यरत हो या सरकारी संस्था में, सेवानिवृत्ति के समय कुल 300 अर्जित अवकाशों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार होता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब तक प्रत्यर्थी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, तब तक उनके अर्जित अवकाशों की गणना नहीं की जा सकती है और प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य से भी 300 सवैतनिक अवकाशों के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपदान की राशि हमेशा एक कर्मचारी को उसकी

सेवानिवृत्ति के बाद देय होती है और आज तक, प्रत्यर्थी सरकार के साथ सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार उनके उपदान की राशि की गणना नहीं की जा सकती है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा उपदान की राशि की गणना नहीं की गई है क्योंकि इस संबंध में याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा कोई विशिष्ट हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों द्वारा भी ऐसा कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थियों से जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है।

4. अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम 1989 की धारा 21 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, जब भी प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच किसी सेवा शर्त के संबंध में कोई विवाद होता है, तो उसके निर्णय के लिए “निर्धारित तरीके” से अधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा निर्धारित तरीके से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन विचारणीय नहीं था। इसलिए, इन परिस्थितियों के तहत, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में विधिसंगत नहीं है और इसे रद्द और निरस्त किए जाने योग्य है। अपने प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **टैगोर बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2018 (1) डब्ल्यूएलसी राज. 19 में रिपोर्ट किया गया है; **अयूबखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** जो एआईआर 2013 एससी 58 में रिपोर्ट किया गया है; और **रामस्वरूप मासावन बनाम नगर परिषद और अन्य** जो 1998 (6) एससीसी 338 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यहां

ऊपर दिए गए बयानों के मद्देनजर, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. इसके विपरीत, निजी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रबंध समिति, के.डी. जैन शिक्षण परिषद् और अन्य बनाम श्रीमती ममता गांगवाल और अन्य के मामले में डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 430/2019 का निर्णय करते हुए दिनांक 21.05.2019 के आदेश द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश प्रसाद सैनी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में, जो 2022 आईएनएससी 1023 में रिपोर्ट किया गया है, पहले ही निस्तारित कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय की खंडपीठ के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि प्रबंधन अर्जित अवकाशों के साथ-साथ उपदान की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (जिसे इसके बाद “अधिनियम 1972” कहा जाएगा) की धारा 4 में निहित प्रावधानों के अनुसार, उपदान एक कर्मचारी को उसकी सेवा की समाप्ति पर देय होगा, जब उसने लगातार सेवा प्रदान की हो और अधिनियम 1972 की धारा 7 उपदान की राशि के निर्धारण के लिए प्रावधान से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम 1972 की धारा 7 के तहत एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ता-संस्था को प्रत्यर्थियों के उपदान की कुल देय राशि का निर्धारण करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मामले के उपरोक्त सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए, अधिकरण ने एक तर्कसंगत और सुसंगत

आदेश पारित किया है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और तत्काल रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

6. राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सहायता अनुदान की राशि पहले ही याचिकाकर्ता-प्रबंधन को दी जा चुकी है, इसलिए, राज्य केवल यह सुनिश्चित करने की सीमा तक उत्तरदायी है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश का याचिकाकर्ता द्वारा पालन किया जाए। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, इन परिस्थितियों के तहत, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और तत्काल रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

7. उपरोक्त तर्कों के जवाब में, याचिकाकर्ता-संस्था के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी अभी भी सेवा में हैं और उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं, इसलिए, प्रत्यर्थी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नियम 2010 के प्रवर्तन के बाद, राज्य द्वारा अवकाश नकदीकरण के शीर्ष के तहत कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी-कर्मचारी अवकाश नकदीकरण की राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

8. बार में की गई दलीलों को सुना और विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. रिट याचिकाओं के इस समूह में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि “क्या याचिकाकर्ता, एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था, नियम 2010 के तहत राज्य सरकार के साथ उनकी नियुक्ति के कारण याचिकाकर्ता-संस्था की सेवा में नहीं रहने के बाद, प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को

उपदान और अर्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है?"

10. मुद्दे पर इसके गुणों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, नियम 2010 के नियम 4 और 5 और अधिनियम 1972 की धारा 2(क्यू), 2(आर), धारा 4(1) और 4(5) और 7 के तहत निहित प्रासंगिक प्रावधानों को पुनरुत्पादित करना लाभदायक होगा, क्योंकि ये प्रावधान इन रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक हैं। ये प्रावधान इस प्रकार पुनरुत्पादित हैं:-

"4. सरकारी सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया।- (1) गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में ऐसे नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को स्वीकृत और सहायता प्राप्त पद के विरुद्ध कार्यरत हैं और जो इन नियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत नियुक्त होना चाहते हैं, वे इन नियमों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रारूप-1 में संबंधित संस्था के सचिव को अपने सेवा विवरण का उल्लेख करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक अग्रिम प्रति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को भी भेजेंगे।

(2) संस्था का सचिव, सेवा विवरण को सत्यापित करने के बाद, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर कर्मचारी के पूर्ण सेवा रिकॉर्ड के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन अग्रेषित करेगा। संस्था का सचिव इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न करेगा कि कर्मचारियों द्वारा उल्लिखित सेवा विवरण सही हैं।

(3) इन नियमों के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के

कर्मचारियों की उपयुक्तता का आकलन स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल होंगे:-

(ए) आयोग के दायरे में आने वाले पदों के मामले में-

(i) आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित -अध्यक्ष

(ii) कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या उनके नामित जो उप सचिव के पद से कम न हों -सदस्य

(iii) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या उनके नामित जो उप सचिव के पद से कम न हों -सदस्य

(iv) संबंधित विभाग के निदेशक -सदस्य सचिव

(बी) आयोग के दायरे में नहीं आने वाले पदों के मामले में-

(i) संबंधित विभाग के निदेशक या उनके नामित - अध्यक्ष

(ii) संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी -सदस्य सचिव

(4) समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार (उम्मीदवारों) का नाम संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

5. सरकारी सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें।- गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को स्वीकृत सहायता प्राप्त पद के विरुद्ध कार्यरत हैं, उन्हें निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा के तहत नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) कर्मचारी के पास संबंधित सेवा नियमों के अनुसार संबंधित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और व्यावसायिक

योग्यता होनी चाहिए जो समान कैडर के सरकारी सेवक पर लागू होते हैं।

(ii) जिन पदों पर कर्मचारियों को सरकार में नियुक्त किया जाएगा, वे कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग समाप्तप्राय कैडर का गठन करेंगे।

(iii) नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा भी मामला हो, कॉलेजों/स्कूलों में अनुसूची के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट समतुल्य पदों पर तैनात किया जाएगा। हालांकि, यदि सरकार में ऐसा कोई समतुल्य पद उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा:

[यह भी प्रावधान किया जाता है कि कॉलेज शिक्षा अनुभाग में गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित किए गए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले में और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए पद उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को इन नियमों द्वारा शासित किसी अन्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कॉलेज शिक्षा निदेशालय में शामिल होने की तारीख से नए विभाग में नियुक्त माना जाएगा।]

(iv) इन नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक किसी भी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।

हालांकि, उन्हें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अनुमत आश्वासित कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा। स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर नियुक्ति की तिथि से उनकी अवधि को आश्वासित कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नति योजना के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

(v) पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे जब भी पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाते हैं, अर्थात् अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा की समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के इस्तीफे आदि के कारण।

(vi) सभी नियुक्त कर्मचारियों का वेतन इन नियमों के तहत सरकार में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियुक्ति के समय आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जो लोग राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998, राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के लिए संशोधित वेतनमान नियम, 1999 और राजस्थान सिविल सेवा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए संशोधित वेतनमान नियम, 2001) में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, क्रमशः राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी कॉलेज शिक्षकों, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम, 2009 और राजस्थान सिविल सेवा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए संशोधित वेतनमान नियम, 2010) का लाभ दिया जाएगा।

(vii) राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पहले की अवधि के लिए किसी भी खाते पर (वेतन, चयन वेतनमान, आश्वासित कैरियर प्रगति या कैरियर उन्नति योजना के बकाया सहित) कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

(viii) अर्जित अवकाश के शेष को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी संबंधित अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों से अर्जित अवकाश के शेष के नकदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ix) इन नियमों के तहत सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। अशासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों

द्वारा इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पहले की अवधि के लिए अंशदायी भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

(x) सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा की अवधि को उपदान के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा। कर्मचारी संबंधित अनुदानित शैक्षणिक संस्थान से उपदान का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(xi) प्रत्येक कर्मचारी को प्रारूप-II में एक वचनबद्धता निष्पादित करने की आवश्यकता होगी कि वह स्वेच्छा से इन नियमों के तहत निर्धारित सेवा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और सरकारी सेवा में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सेवा करने के लिए सहमत है।”

अब अधिनियम 1972 के उपरोक्त उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधान

इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं:-

“2. परिभाषाएं।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) से (पी) XXX XXX XXX

(क्यू) "सेवानिवृत्ति" का अर्थ है अधिवर्षिता के अलावा किसी अन्य कारण से एक कर्मचारी की सेवा की समाप्ति;

(आर) "अधिवर्षिता", एक कर्मचारी के संबंध में, उस आयु की प्राप्ति है जो अनुबंध या सेवा की शर्तों में उस आयु पर निश्चित की गई है, जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी रोजगार को रिक्त करेगा;

(एस) XXX

4. उपदान का भुगतान.- (1) उपदान एक कर्मचारी को उसकी सेवा की समाप्ति पर देय होगा जब उसने कम से कम पाँच वर्ष के लिए लगातार सेवा प्रदान की हो,-

(ए) उसकी अधिवर्षिता पर, या

(बी) उसके सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने पर, या

(सी) उसकी मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के कारण

विकलांगता होने पर:

बशर्ते कि पाँच वर्ष की लगातार सेवा की पूर्ति आवश्यक नहीं होगी जहां किसी भी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु या विकलांगता के कारण हो:

[यह भी प्रावधान किया जाता है कि कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उसे देय उपदान उसके नामित को भुगतान किया जाएगा, या, यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो उसके उत्तराधिकारियों को, और जहां ऐसा कोई नामित या उत्तराधिकारी एक नाबालिग है, तो ऐसे नाबालिग का हिस्सा नियंत्रण प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा जो ऐसे नाबालिग के लाभ के लिए ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में निवेश करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा नाबालिग बालिग न हो जाए।]

स्पष्टीकरण- इस धारा के उद्देश्यों के लिए, विकलांगता का अर्थ ऐसी विकलांगता है जो एक कर्मचारी को उस कार्य के लिए अयोग्य बना देती है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी के परिणामस्वरूप ऐसी विकलांगता से पहले करने में सक्षम था।

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX

(5) इस धारा में कुछ भी एक कर्मचारी के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत वह किसी पुरस्कार, समझौते या नियोक्ता के साथ किए गए अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त कर सकता है।

(6) XXX"

7. उपदान की राशि का निर्धारण (1) एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उपदान के भुगतान के लिए पात्र है या उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित में अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे उपदान के भुगतान के लिए निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित प्रारूप में, नियोक्ता को एक लिखित आवेदन भेजेगा।

(2) जैसे ही उपदान देय हो जाता है, नियोक्ता, चाहे उप-धारा (1) में संदर्भित आवेदन किया गया है या नहीं, उपदान की राशि का निर्धारण करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान देय है, और नियंत्रण प्राधिकारी को भी निर्धारित उपदान की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में नोटिस देगा।

(3) नियोक्ता, उपदान देय होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उपदान की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा जब वह उस व्यक्ति को देय हो जाता है जिसे उपदान देय है।

(3 ए) यदि उप-धारा (3) के तहत देय उपदान की राशि नियोक्ता द्वारा उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान

नहीं की जाती है, तो नियोक्ता उस तारीख से, जिस पर उपदान देय हो जाता है, उस तारीख तक जिस पर इसका भुगतान किया जाता है, ऐसे दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दीर्घकालिक जमा की चुकौती के लिए अधिसूचित दर से अधिक नहीं होगा, जैसा कि उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि भुगतान में देरी कर्मचारी की गलती के कारण है और नियोक्ता ने इस आधार पर विलंबित भुगतान के लिए नियंत्रण प्राधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त की है।

(4) (ए) यदि इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी को देय उपदान की राशि के बारे में या उपदान के भुगतान के लिए एक कर्मचारी के दावे की स्वीकार्यता के बारे में या उसके संबंध में, या उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है, तो नियोक्ता नियंत्रण प्राधिकारी के पास ऐसी राशि जमा करेगा जिसे वह उपदान के रूप में उसके द्वारा देय होने के लिए स्वीकार करता है।

(बी) जहां खंड (ए) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले या मामलों के संबंध में एक विवाद है, नियोक्ता या कर्मचारी या विवाद उठाने वाला कोई अन्य व्यक्ति विवाद का निर्णय करने के लिए नियंत्रण प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकता है।

(सी) नियंत्रण प्राधिकारी, उचित जांच के बाद और विवाद के पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, विवादित

मामले या मामलों का निर्धारण करेगा और यदि, ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कोई राशि कर्मचारी को देय पाई जाती है, तो नियंत्रण प्राधिकारी नियोक्ता को ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा या, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि से कम की गई ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

(डी) नियंत्रण प्राधिकारी जमा की गई राशि, जिसमें नियोक्ता द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, शामिल है, उस व्यक्ति को भुगतान करेगा जो उसके लिए हकदार है।

(ई) जैसे ही खंड (ए) के तहत जमा किया जाता है, नियंत्रण प्राधिकारी जमा की गई राशि का भुगतान करेगा -

(i) आवेदक को जहां वह कर्मचारी है; या

(ii) जहां आवेदक कर्मचारी नहीं है, वहां नामित को या, जैसा भी मामला हो, ऐसे नामित के अभिभावक या कर्मचारी के उत्तराधिकारी को, यदि नियंत्रण प्राधिकारी संतुष्ट है कि उपदान की राशि प्राप्त करने के आवेदक के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है।

(5) उप-धारा (4) के तहत एक जांच करने के उद्देश्य के लिए, नियंत्रण प्राधिकारी के पास, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करते समय एक न्यायालय में निहित शक्तियों के समान शक्तियां निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात्:

(ए) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना या उसे शपथ पर जांचना;

(बी) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(सी) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(डी) साक्षियों की जांच के लिए आयोग जारी करना।

(6) इस धारा के तहत कोई भी जांच भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर और धारा 196 के उद्देश्य के लिए एक न्यायिक कार्यवाही होगी।

(7) उप-धारा (4) के तहत एक आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, समुचित सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को एक अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसे समुचित सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है: बशर्ते कि समुचित सरकार या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उक्त अवधि को साठ दिनों की अगली अवधि तक बढ़ा सकता है। बशर्ते आगे कि नियोक्ता द्वारा कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील प्रस्तुत करने के समय, अपीलकर्ता या तो नियंत्रण प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि अपीलकर्ता ने उसके पास उप-धारा (4) के तहत जमा करने के लिए आवश्यक उपदान की राशि के बराबर एक राशि जमा कर दी है, या अपीलीय प्राधिकारी के पास ऐसी राशि जमा करता है।

(8) समुचित सरकार या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपील के पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद,

नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या उलट कर सकता है।”

11. नियम 2010 के उपरोक्त-उद्धृत नियम 5 से यह देखा जाएगा कि नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख को गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत/सहायता प्राप्त पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों का विस्तार करते हुए एक पूर्ण योजना प्रदान की गई है। नियम 2010 का नियम 4 यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कर्मचारियों को सरकारी राजपत्र में नियमों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रारूप-1 में संबंधित संस्था के सचिव को अपने सेवा विवरण का उल्लेख करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसकी एक अग्रिम प्रति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी। नियम 2010 का नियम 5 ऐसी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को शामिल करता है। यह प्रावधान करता है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा कर्मचारियों, जो नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख को स्वीकृत सहायता प्राप्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं, उन्हें खंड (i) से (xi) में गिनि गई नियमों और शर्तों पर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा के तहत नियुक्त किया जाएगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करते हैं कि (i) कर्मचारी के पास समान कैडर के सरकारी सेवक पर लागू होने वाले प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार संबंधित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए; (ii) जिन पदों पर कर्मचारियों को सरकार में नियुक्त किया जाएगा, वे कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग मृत कैडर का गठन करेंगे; (iii) नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा भी मामला हो, कॉलेजों/स्कूलों में ही तैनात किया जाएगा; (iv) इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त करने तक किसी भी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, उन्हें सरकार में उनके समकक्षों के बराबर आश्वासित कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए, उनके द्वारा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के साथ स्वीकृत सहायता प्राप्त पदों पर प्रदान की गई सेवा की अवधि को गिना जाएगा; (v) जिन पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया है, वे उनकी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा की समाप्ति/मृत्यु/इस्तीफा पर समाप्त हो जाएंगे; (vi) उनका वेतन नियुक्ति के समय आहरित के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। खंड (vii), विशेष रूप से, प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा सरकार के साथ उनकी नियुक्ति की तारीख से पहले की अवधि के लिए किसी भी खाते पर, जिसमें वेतन, चयन वेतनमान, आश्वासित कैरियर प्रगति या कैरियर उन्नति योजना के बकाया शामिल हो सकते हैं, कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, हम वर्तमान मामले में मुख्य रूप से खंड (viii), (x) और (xi) से संबंधित हैं। खंड (viii) जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि "अर्जित अवकाश के शेष को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदान शिक्षण संस्थाओं से अर्जित अवकाश के शेष के नकदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।" खंड (x) प्रदान करता है कि "सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा की अवधि को उपदान के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा, और कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदान शिक्षण संस्था से उपदान का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।" सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड (xi) प्रावधान करता है कि "प्रत्येक कर्मचारी को प्रारूप-II में एक अंडरटेकिंग निष्पादित करने की आवश्यकता होगी कि वह स्वेच्छा से इन नियमों के तहत निर्धारित सेवा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और सरकारी सेवा में अधिवर्षिता की आयु

प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सेवा करने के लिए सहमत है।”

12. इस प्रकार उक्त प्रावधान में नियम बनाने वाले प्राधिकारी का इरादा स्पष्ट है कि जहां तक अर्जित अवकाश के नकदीकरण और उपदान के भुगतान का संबंध है, सहायता-अनुदान शिक्षण संस्था के साथ एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सरकार के साथ सेवाओं से अलग कर दिया गया है और संबंधित कर्मचारी उस अवकाश नकदीकरण और उपदान की राशि को सीधे संबंधित सहायता-अनुदान शिक्षण संस्था से प्राप्त करने का हकदार होगा जब उसका रोजगार समाप्त हो जाता है। इसलिए, इस न्यायालय को अधिनियम 1972 की धारा 4 और अधिनियम 1972 की धारा 7 और 8 की भाषा पर सप्रयोजन और साथ ही प्रासंगिक व्याख्या करनी होगी। स्पष्ट है कि नियम 2010 का नियम 5, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक सशर्त योजना प्रदान करता है, जिसमें राजपत्र में नियम 2010 के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर एक विशिष्ट अंडरटेकिंग (प्रारूप-II में) प्रस्तुत करके एक आवेदन (प्रारूप-I में) जमा करना शामिल है। इस प्रकार सरकार ने उन्हें उपरोक्त सभी शर्तों पर रोजगार में स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साथ उन्होंने जो अवधि बिताई थी, उसे उपदान के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा, उस सेवा के साथ जो वे सरकार के साथ प्रदान करेंगे और यह कि वे उस सेवा के लिए उपदान का भुगतान संबंधित गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. याचिकाकर्ता-संस्था के इस तर्क में इस न्यायालय को कोई सार नहीं मिला कि प्रत्यर्थी-कर्मचारियों द्वारा उनके साथ प्रदान की गई सेवाएं, ऐसे

कर्मचारियों को अनुमेय वैधानिक सीमा से कहीं अधिक उपदान की राशि के लिए हकदार बनाएगी। इसका उत्तर अधिनियम 1972 की धारा 4(5) में मिलेगा जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करता है कि “इस धारा में कुछ भी एक कर्मचारी के नियोक्ता के साथ किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत उपदान के बेहतर नियम प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।” वैधानिक योजना के तहत सरकार के साथ प्रत्यर्थी-कर्मचारियों की नियुक्ति, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, याचिकाकर्ता-संस्था की सहमति से की गई है। नियम 2010 के नियम 4 के अनुसार, सरकार के साथ नियुक्ति के लिए कर्मचारी का आवेदन उक्त नियमों से जुड़े प्रारूप-1 के पहले भाग में नियमों के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर संबंधित संस्था के सचिव को जमा करना आवश्यक है। फिर संबंधित संस्था के सचिव को उसी प्रारूप-1 के दूसरे भाग पर कर्मचारी के सेवा विवरण को सत्यापित करने और उनकी सत्यता के बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ ऐसे आवेदन को सरकार के नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करना आवश्यक है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस बनाम गुरसेवक सिंह और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 3150/2019 का निर्णय करते हुए, 15.03.2019 को एक ऐसे मामले से निपटा जहां प्रत्यर्थी को ग्रामीण डाक सेवक, यानी एक अतिरिक्त-विभागीय एजेंट के रूप में, डाक विभाग में अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए लगाया गया था और 2014 में उक्त अंशकालिक नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत उपदान की मांग करते हुए नियंत्रण प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से संपर्क किया। विभाग का रुख यह था कि वह ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और सहभागिता) नियम, 2011 (जिसे इसके बाद “नियम 2011” कहा जाएगा) के

तहत अनुग्रह उपदान का हकदार नहीं था क्योंकि उसने स्वेच्छा से नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। नियम 2011 में अतिरिक्त-विभागीय एजेंट को उपदान के भुगतान के लिए अलग प्रावधान है, और इसलिए, वह अधिनियम 1972 के तहत एक कर्मचारी नहीं है। नियंत्रण प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त ने उसके दावे को अनुमति दी। विभाग ने उपायुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चंडीगढ़ के समक्ष अधिनियम 1972 की धारा 7(7) के तहत एक अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया। विभाग द्वारा उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका को भी एकल पीठ ने खारिज कर दिया था और उसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अंतर न्यायालय अपील को भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में माना कि उक्त नियमों का नियम 6(13) प्रावधान करता है कि यदि कोई अतिरिक्त-विभागीय एजेंट चिकित्सा आधार को छोड़कर, अपने दम पर इस्तीफे के माध्यम से एजेंसी छोड़ देता है, तो कोई उपदान देय नहीं होता है, और चूंकि प्रत्यर्थी ने 2014 में इस्तीफा दिया और अपीलकर्ता ने 28.04.2014 को उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नियम 6(13) के तहत उसे सेवा छोड़ने की अनुमति देने वाला एक आदेश पारित किया, परिणामस्वरूप, वह सांविधिक नियम 2011 के तहत उपदान के भुगतान के लिए अपात्र हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम 1972 की धारा 4 के प्रावधानों पर विचार किया जो कहता है कि "उपदान एक कर्मचारी को देय होगा" और आगे अधिनियम 1972 की धारा 2(ई) के प्रावधानों पर विचार किया, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों को बाहर करता है जो उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान करने वाले किसी भी अधिनियम, या नियमों द्वारा शासित होते हैं।

15. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को सरकार के साथ उनकी नियुक्ति की अवधि के बाद की अवधि के लिए उपदान का भुगतान नियम 5(x) में की गई व्यवस्था द्वारा सशर्त होगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि उन्होंने सहायता प्राप्त संस्थाओं में जो सेवा की अवधि बिताई, उसे उपदान के भुगतान के लिए सरकारी सेवा के साथ सेवा की अवधि के रूप में नहीं गिना जाएगा और कर्मचारी सरकार के साथ अपनी नियुक्ति के समय संबंधित सहायता-अनुदान शिक्षण संस्था से उपदान का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, न कि जब वह सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता है।

16. इस मुद्दे को एक अन्य कोण से भी संबोधित किया जा सकता है। अधिनियम 1972 की धारा 4 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करती है कि उपदान एक कर्मचारी को उसकी सेवा की समाप्ति पर देय होगा, जब उसने कम से कम पाँच वर्ष के लिए लगातार सेवा प्रदान की हो; (ए) उसकी अधिवर्षिता पर, या (बी) उसके सेवानिवृत्ति या इस्तीफा पर, या (सी) उसकी मृत्यु या विकलांगता या बीमारी के कारण अक्षमता होने पर। इस प्रकार धारा 4 यह परिकल्पना करती है कि उपदान केवल पाँच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, रोजगार की समाप्ति पर ही देय होगा और समाप्ति खंड (ए) से (सी) में दिए गए किसी भी तरीके से लाई जा सकती है, अर्थात्, अधिवर्षिता; सेवानिवृत्ति या इस्तीफा; या दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता। अधिनियम की धारा 2(आर) में एक कर्मचारी के संबंध में अधिवर्षिता को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है “कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु की प्राप्ति जो अनुबंध या सेवा की शर्तों में उस आयु पर निश्चित की गई है, जिसकी प्राप्ति पर नियोक्ता रोजगार को रिक्त करेगा।” हालांकि “सेवानिवृत्ति” शब्द को अधिनियम की धारा 2(क्यू) में “अधिवर्षिता के

अलावा किसी अन्य कारण से एक कर्मचारी की सेवा की समाप्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार जाहिर तौर पर, हालांकि 'सेवा की समाप्ति' को अधिनियम 1972 में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 'सेवा की समाप्ति' शब्द को एक कर्मचारी की "सेवानिवृत्ति" के एक तरीके के रूप में भी वर्णित किया गया है। इसलिए सेवा की समाप्ति को अधिवर्षिता के विपरीत सेवानिवृत्ति सहित किसी भी तरीके से सेवा के अनुबंध की समाप्ति के रूप में माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जब नियम 2010 के नियम 5 में सूचीबद्ध शर्तों पर गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति की एक पूर्ण योजना की परिकल्पना की गई है, तो उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए "सेवानिवृत्ति" शब्द पर एक प्रासंगिक व्याख्या की जानी चाहिए।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में, जो (2017) 10 SCC 713 में रिपोर्ट किया गया है, कानूनों की व्याख्या के इस मूल नियम पर विचार करते हुए, रिपोर्ट के पैरा 27 में इस प्रकार माना है:-

"27. व्याख्या को पाठ और संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। वे व्याख्या का आधार हैं। कोई भी कह सकता है कि यदि पाठ उसका ताना-बाना है, तो संदर्भ वह है जो उसमें रंग भरता है। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो संदर्भ के साथ पाठ्य व्याख्या का मेल कराती है। एक कानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों अधिनियमित किया गया था। यदि कानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, और उस संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए विधि-निर्माता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द अलग रूप और अर्थ ले सकते

हैं जब उन्हें बिना संदर्भ के देखा जाता है। हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और खोज करनी चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ और उद्देश्य है, ताकि वह संपूर्ण अधिनियम की योजना में सटीक बैठ सके। किसी भी विधि के किसी भाग या शब्द की व्याख्या अलग-थलग करके नहीं की जा सकती।"

18. अधिनियम 1972 की धारा 2(क्यू) में दी गई परिभाषा के अनुसार "सेवानिवृत्ति" शब्द की प्रासंगिक व्याख्या लेते हुए, जिसमें अधिवर्षिता के अलावा किसी अन्य कारण से एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवा की "समाप्ति" शामिल है, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार्य विकल्प, स्पष्ट रूप से ऐसी संस्था की सहमति के साथ, नियम 2010 के नियम 5 में दी गई शर्तों पर सरकार के साथ नियुक्त होने के लिए, उस भावना में अर्थ सेवा की समाप्ति होगा, जहां तक पिछले नियोक्ता अर्थात् सहायता प्राप्त संस्था का संबंध है। ऐसे कर्मचारी उपदान प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं उसी समय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी, बशर्ते ऐसे कर्मचारियों ने "कम से कम पाँच वर्ष के लिए लगातार सेवा" प्रदान की हो और अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के दो परंतुक के अधीन हों।

19. इन रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दा प्रबंध समिति, श्री रघुनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) और अन्य बनाम महेश कुमार शर्मा और अन्य (डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 1758/2017 के साथ अन्य संबंधित अपीलों) के मामले में पूरी तरह से निस्तारित कर दिया गया है, जिसका निर्णय 07.03.2018 को किया गया था, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“जहां तक उपदान और अवकाश नकदीकरण के दावे का संबंध है, हमारी राय है कि यदि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, तो ये दोनों सेवानिवृत्ति के समय देय हैं। उपदान और अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए निर्देश बीच में दिए गए हैं। गैर-अपीलकर्ता-कर्मचारी शुरू में अपीलकर्ता-संस्था द्वारा भर्ती किए गए थे, लेकिन, बाद में, नियम 2010 के तहत राज्य सेवाओं में नियुक्त किए गए थे। उपरोक्त के मद्देनजर, उपदान के साथ-साथ अवकाश नकदीकरण की संचित राशि को उस अवधि के लिए राज्य को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जब कर्मचारियों ने प्रबंधन समिति के साथ कार्य किया और पूर्ण लाभ फिर उनकी सेवानिवृत्ति पर राज्य द्वारा कर्मचारियों को दिया जाएगा। अवकाश नकदीकरण की संचित राशि केवल गैर-सहायता प्राप्त भाग की सीमा तक होगी। संतुलन बनाने और नियमों के अनुरूप रहने के लिए, अपीलकर्ता-संस्था उस अवधि के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की राशि का निर्धारण करेगी जब गैर-अपीलकर्ता-कर्मचारियों ने उनके साथ कार्य किया। उक्त राशि राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी या इसे प्रबंध समिति, पननबाई रामनाथ पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल (उपर्युक्त) के मामले में निर्देशों के अनुसार अपीलकर्ता-संस्था को देय किसी भी राशि से राज्य द्वारा काट लिया जाएगा और इस मामले पर लागू किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश नकदीकरण की राशि को अपीलकर्ता-संस्था द्वारा सहायता अनुदान के मद्देनजर उनके हिस्से की सीमा तक लेखांकित किया जाएगा, लेकिन, उपदान के लिए, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, पूरी राशि उनके द्वारा देय होगी।”

20. इसके बाद, इस न्यायालय की खंडपीठ ने **श्रीमती ममता गगवाल** (उपर्युक्त) के मामले में भी एक समान दृष्टिकोण अपनाया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“सेवानिवृत्ति” शब्द की प्रासंगिक व्याख्या लेते हुए जैसा कि इसकी परिभाषा धारा 2(क्यू) में दी गई है, जिसमें अधिवर्षिता के अलावा किसी अन्य कारण से एक कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा सेवा की “समाप्ति” शामिल है, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया विकल्प, स्पष्ट रूप से ऐसी संस्था की सहमति के साथ, नियम 2010 के नियम 5 में दी गई शर्तों पर सरकार के साथ नियुक्त होने के लिए, उस भावना में अर्थ सेवा की समाप्ति होगा, जहां तक पिछले नियोक्ता अर्थात् सहायता प्राप्त संस्था का संबंध है और ऐसे कर्मचारियों को उसी चरण पर उपदान प्राप्त करने के हकदार बनाएगा और ऐसी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों ने “कम से कम पाँच वर्ष के लिए लगातार सेवा” प्रदान की हो और अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के दो परंतुक के अधीन हों।”

21. अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जगदीश प्रसाद सैनी** (उपर्युक्त)

के मामले में पैरा 20 से 23 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“20. स्पष्ट रूप से, ये नियम गैर-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों और शिक्षकों के समायोजन को सक्षम करने के लिए तैयार किए गए थे। इस मामले के उद्देश्यों के लिए जो प्रासंगिक है वह यह है कि नियम 5(viii) द्वारा, मौजूदा अर्जित अवकाश को आगे ले जाने से मना किया जाता है; इसी तरह, सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा की अवधि को नियम 5(ix) के तहत उपदान के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाना है। प्रत्येक कर्मचारी को नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी थी। सामान्य तौर पर किसी भी सार्वजनिक नियोक्ता को एक कर्मचारी की भर्ती से पहले पूर्व-शर्तें लगाने में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, ऐसी शर्तें मनमानी, या इतनी कठिन

नहीं हो सकती हैं कि वे विवेकहीन हों। इस न्यायालय की राय में, नियम 5 के खंड (viii) में शर्त, अर्थात्, शेष अर्जित अवकाश को आगे ले जाना वर्जित है और कर्मचारियों को उनके पिछले नियोक्ता, अर्थात्, सहायता प्राप्त संस्थाओं से नकदीकरण की मांग करने की आवश्यकता, एक मनमानी और विवेकहीन शर्त है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए कि ऐसी शर्तें लागू करने योग्य हैं, इस न्यायालय ने, हाल ही में, पानी राम बनाम भारत संघ और अन्य 9 में सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य 10 में अवलोकनों को उद्धृत करने के बाद इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:

“23. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता का अधिकार उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसके पास कोई विकल्प नहीं है या बल्कि कोई सार्थक विकल्प नहीं है, लेकिन एक अनुबंध को अपनी सहमति देनी है या एक निर्धारित या मानक प्रारूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करना है या अनुबंध या प्रारूप या नियमों में एक खंड कितना भी अनुचित, अतार्किक और विवेकहीन क्यों न हो, नियमों के एक सेट को अनुबंध के हिस्से के रूप में स्वीकार करना है।”

21. इस न्यायालय ने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल (उपर्युक्त) में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था कि अवकाश नकदीकरण वेतन का हिस्सा है। 1993 नियमों की योजना में, किसी भी

संस्था को दिए जाने वाले सहायता के मूल्यांकन और सीमा का निर्धारण, नियम 13 द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुमोदित व्यय का क्या हिस्सा है जो सहायता की विषयवस्तु होगी, नियम 14 द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान मामले में, प्रबंधन संस्थान अनुदान के रूप में 70% सहायता की प्राप्तकर्ता थी। इन परिस्थितियों में, राज्य अपीलार्थियों को अवकाश नकदीकरण लाभों के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को झुठला नहीं सकता है, और या तो नियम 5 (viii) या उनके द्वारा निष्पादित की गई अंडरटेकिंग के पीछे छिप नहीं सकता है। अपीलकर्ता अर्जित अवकाश पात्रता लाभों के हकदार माने जाते हैं। ऐसे लाभ की गणना उनके द्वारा प्रतिष्ठान की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर, वर्ष 2016 में राज्य द्वारा उनके समावेशन की तिथि तक की जाएगी। राज्य 70% की सीमा तक देय लाभों का भुगतान करेगा, और शेष 30% प्रबंधन संस्थान द्वारा देय होगा।

22. उपदान के मुद्दे पर, फिर से, देयता का प्रश्न निर्णायक रूप से तय किया जा चुका है। हालांकि प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय अंबिका मिशन बॉयज मॉडल स्कूल (उपर्युक्त) पर भरोसा किया, इस न्यायालय का यह मत है कि इसे एक नजीर के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस मामले में न्यायालय ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का विश्लेषण किया, जैसा कि 2009 में संशोधित किया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, 1993 नियमों की योजना, जिसमें अनुदान की शर्तें शामिल थीं, स्पष्ट रूप से

उपदान के भुगतान की देयता को नियोक्ता, यानी सहायता प्राप्त स्थापना, यानी इस मामले में चौथे, पांचवें और छठे प्रत्यर्थियों पर डाला गया था। इसके अलावा, राजस्थान कल्याण सोसायटी (उपर्युक्त) एक प्राधिकरण है, इसमें इसने 1993 नियमों के प्रभाव पर विचार किया, और माना कि उपदान के भुगतान की ओर देयता सहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधन ही वहन करेगा:

"7. नियम 10 सहायता अनुदान को शासित करने वाली सामान्य शर्तों के लिए प्रावधान करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करता है कि प्रत्येक संस्था जो सहायता अनुदान के लिए आवेदन करती है, उसे उसमें निर्धारित शर्तों का पालन करने के अपने दायित्व को स्वीकार करने वाला माना जाएगा, उनमें से एक यह है कि प्रबंधन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा और सेवा की शर्तों का पालन करेगा, जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया है। नियम 11 सहायता अनुदान की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 13 वार्षिक आवर्ती अनुदान के मूल्यांकन से संबंधित है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करता है कि वार्षिक आवर्ती अनुदान चालू वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर दिया जाएगा और अगले वर्ष में देय अनुदान से समायोजन के अधीन होगा। यह भी निर्धारित करता है कि अनुमोदित व्यय का निर्धारण नियमों तथा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। नियम 14 अनुमोदित व्यय से संबंधित है और वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक सीमा तक निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

नियम 14. अनुमोदित व्यय- ऊपर नियम 13 में संदर्भित अनुमोदित व्यय, केवल निम्नलिखित वस्तुओं से संबंधित होगा- नीचे उल्लिखित (ए) से (वी) तक की सभी मदें व्यय की स्वीकार्य मदों के घटक 'ए' का निर्माण करेंगी।

(ए) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक वेतन, और भविष्य निधि अंशदान जो 8.33% से अधिक नहीं हो।

(बी) से (वी)

8. नियम 14 से संलग्न टिप्पणी 2 वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है और इस प्रकार पठनीय है:

टिप्पणी - 2. पेंशन फंड या उपदान योजना के लिए संस्था द्वारा किए गए अंशदान के कारण या पूर्व शिक्षकों को भुगतान की गई पेंशन या उपदान के कारण शुल्क सामान्य तौर पर सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं जब तक कि इस विषय पर नियमों को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है;

बशर्ते कि किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से उधार ली गई सेवाओं पर प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, पेंशन और अवकाश वेतन अंशदान को अनुमोदित व्यय के रूप में अनुमति दी जाएगी।

9. नियम 82 प्रावधान करता है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के कर्मचारी यथा संशोधित, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत देय उपदान के हकदार होंगे।

14. उपदान को कर्मचारियों को फिलहाल देय पारिश्रमिक नहीं कहा जा सकता है ताकि वह अधिनियम की धारा 2(आर) में परिभाषित वेतन की परिभाषा के भीतर आ सके। इसके अलावा, नियम 14 'वास्तविक वेतन' शब्द का उपयोग करता है। जैसा भी हो, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रकृति का गैर-आवर्ती भुगतान वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। उपदान सेवानिवृत्ति/रोजगार की समाप्ति के समय देय होता है। मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उनके कर्मकार MANU/SC/0120/1968 : (1969) 1 LLJ 785 (SC) के निर्णय पर भरोसा अपीलकर्ता को थोड़ी सहायता ही प्रदान कर सकता है। यह बोनस संदाय अधिनियम के तहत एक मामला है। यह केवल लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित था। अवलोकन किए गए थे कि उपदान योजनाओं के तहत एक अनुमानित देयता, भले ही वह एक आकस्मिक देयता की राशि हो और धन कर अधिनियम के तहत एक ऋण न हो, यदि ठीक से निर्धारित किया जा सकता है और इसका वर्तमान मूल्य उचित रूप से छूट देकर आंका गया हो, तो लाभ और हानि खाते को तैयार करते समय सकल प्राप्तियों से कटौती योग्य है। व्यापारिक मंडलों में या बोनस अधिनियम में नियम या निर्देश

में, ऐसी प्रथा से कोई निषेध नहीं था। उस मामले में प्रश्न यह था कि क्या शुद्ध लाभ की गणना करते समय व्यापारी अपनी सकल प्राप्तियों से अपने कर्मचारी से प्राप्त होने वाली प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की सेवा के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए अपनी देयता का प्रावधान कर सकता है। इसका उत्तर सकारात्मक में दिया गया था। यदि ऐसी देयता ठीक से निर्धारित की जा सकती थी, तो एक उचित बट्टागत मूल्य पर पहुंचना संभव था। यह निर्णय, हमारी राय में, वर्तमान मामले में विवादित बिंदु को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है।

15. इसके अलावा, उपदान को अनुमोदित व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियम 9 के तहत राज्य सरकार उसमें प्रदान किए गए चार शीर्षों के तहत अनुदान को मंजूर कर सकती है और उपदान उनमें से किसी के तहत नहीं आता है। यह दावा नहीं किया जाता है कि उपदान शीर्ष 2 से 4 के तहत आता है। शीर्ष संख्या 1 'रखरखाव या आवर्ती अनुदान' है। यह स्वीकार किया जाता है कि एक उपदान रखरखाव की श्रेणी के तहत नहीं आ सकता है। यह आवर्ती अनुदान भी नहीं है जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपदान का भुगतान नियम 9 में उल्लिखित चार श्रेणियों में से किसी के तहत नहीं आ सकता है।

16. उपरोक्त के दृष्टिगत, अधिनियम और नियमों के अर्थ के भीतर उपदान आवर्ती अनुदान का हिस्सा नहीं बन सकता है। यह अपीलकर्ता को देय अनुदान की राशि की गणना के उद्देश्यों

के लिए अनुमोदित व्यय के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है। इस दृष्टिकोण में, राजस्थान सरकार का 26 मई, 1994 का संचार जिसमें यह कहा गया है कि नियम उपदान की राशि पर सहायता अनुदान के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, क्योंकि यह अनुमोदित व्यय में शामिल नहीं है, इसे अवैध नहीं माना जा सकता है। हालांकि, यह संबंधित संस्था से उपदान प्राप्त करने के कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

17. अंत में, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यदि सहायता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभ्यावेदन दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार सहायता अनुदान की राशि की गणना के उद्देश्य के लिए कर्मचारियों को देय उपदान की राशि के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसे अभ्यावेदन करने और उस पर विचार लंबित रहने तक, कर्मचारियों को उपदान के भुगतान में देरी नहीं की जाएगी।

न तो नियम 82 बदला है, न ही न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई अन्य तथ्य लाया गया है, जिससे यह कहा जा सके कि प्रबंधन, यानी प्रत्यर्थी संख्या 3-7, उनके नियोक्ताओं के रूप में अपीलकर्ताओं के साथ उनके संबंध की समाप्ति पर, उपदान का भुगतान करने की उनकी देयता से मुक्त हैं। नियम 82 अनुदान की एक शर्त है, जिसका अर्थ था कि प्रबंधन संस्थान सजग थी और अपनी देयता से अवगत थी जब उसने 1993 नियमों के तहत सहायता के लिए आवेदन किया और उसे अनुदान

दिया गया। इसलिए, वह उस आधार पर अपनी देयता से नहीं बच सकती है।

23. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अवकाश नकदीकरण के संबंध में, राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 क्रमशः 70:30 के अनुपात में अपीलकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्यर्थी राज्य, आज से चार सप्ताह के भीतर, प्रत्येक अपीलकर्ता की पात्रता की सीमा का निर्धारण करेगा, और प्रबंधन संस्थान (प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7) द्वारा अपीलकर्ताओं को देय राशि की सीमा को संप्रेषित करेगा। ये राशियां सभी प्रत्यर्थियों द्वारा, आज से छह सप्ताह के भीतर भुगतान की जाएंगी। प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 उपदान की राशि की भी गणना और भुगतान अपीलकर्ताओं को आज से छह सप्ताह के भीतर करेंगे (स्कूल में उनके प्रवेश की प्रारंभिक तारीख से प्रत्यर्थी राज्य द्वारा समायोजन के आदेश की तारीख तक के आधार पर)। चूंकि प्रत्यर्थियों के दोनों समूहों ने अपनी देयता का विरोध किया और अपीलकर्ताओं के प्रति उसे अस्वीकार किया, अपीलकर्ताओं को देय राशियों पर उनकी पात्रता की तारीख (तारीखों) से भुगतान की तारीख तक, 10% की दर से ब्याज भी लगेगा।”

22. इसलिए, यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के चरण तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को उस अवधि के लिए उपदान और अर्जित अवकाश के अवकाश नकदीकरण का भुगतान करे जिसके दौरान वे ऐसी संस्थाओं के रोजगार में

रहे, इन शीर्षों के तहत देय राशि का निर्धारण करने के बाद, और उसी का भुगतान अपने पूर्व कर्मचारियों को करने के बाद, एक विस्तृत जानकारी ऐसे शिक्षण संस्था द्वारा राज्य को भेजी जा सकती है ताकि ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक सेवानिवृत्ति के समय आवश्यक कार्य किया जा सके।

23. जहां तक याचिकाकर्ता-संस्था की यह आशंका है कि प्रत्यर्थियों को उपदान और अर्जित अवकाश के नकदीकरण का दोहरा भुगतान सरकार से किया जाएगा, यह बेबुनियाद है क्योंकि, याचिकाकर्ता-संस्था का कार्य इन प्रमुखों शीर्षों के तहत प्रत्यर्थी-कर्मचारियों की देय राशि की गणना और निर्धारण के बाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें इन राशियों का भुगतान करने के बाद, याचिकाकर्ता-संस्था इस संबंध में सरकार को विवरण भेज सकती है, ताकि सरकार इस तथ्य का ध्यान रख सके कि प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को याचिकाकर्ता-संस्था से निश्चित राशि प्राप्त हुई है और शेष राशि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भुगतान की जाएगी। शेष राशि के भुगतान का मुद्दा सरकार और प्रत्यर्थी-कर्मचारियों के बीच होगा जिसका ध्यान सरकार द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के उपयुक्त समय पर रखा जाएगा।

24. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता-संस्था को प्रति-परीक्षा का अवसर दिया जाना आवश्यक था?

25. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी-कर्मचारियों की प्रति-परीक्षा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अधिनियम 1989 की धारा 21 के तहत प्रस्तुत आवेदन आम तौर पर विवाद के पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, हलफनामों और जवाबी हलफनामों के आधार

पर एक संक्षिप्त तरीके से निपटाए जाते हैं और इसलिए प्रत्यर्थी-कर्मचारियों द्वारा दायर विचाराधीन आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा एक संक्षिप्त तरीके से निपटाया गया था। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कभी भी यह प्रार्थना नहीं की गई थी कि वे प्रत्यर्थी-कर्मचारियों या किसी भी गवाह की प्रति-परीक्षा करना चाहते हैं, इस प्रकार, याचिकाकर्ता-संस्था के लिए अब इस न्यायालय के समक्ष इस दलील को उठाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि आक्षेपित निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा, याचिकाकर्ता-संस्था को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया गया है। याचिकाकर्ता-संस्था के वकील द्वारा **टैगोर बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय (उपर्युक्त)**, **अय्यूबखान नूरखान पठान (उपर्युक्त)** और **रामस्वरूप मासावन (उपर्युक्त)** के मामलों में भरोसा किए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं हैं और वे विभेदनीय हैं।

26. न्यायालय को याचिकाकर्ता-संस्था के अभ्यावेदनों में कोई दम नहीं लगता कि वेतन और चयन वेतनमान के बकाया की गणना न्यायाधिकरण द्वारा नहीं की गई है। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी को दिए गए लाभों के बकाया की गणना करने का कोई अवसर नहीं था। अब, प्रत्यर्थी-कर्मचारियों की सेवा की अवधि के अनुसार नियमों के अनुरूप बकाया की गणना करना याचिकाकर्ता-संस्था और प्रत्यर्थी-कर्मचारियों के बीच है, और तदनुसार आगे बढ़ना है।

27. उपरोक्त चर्चाओं के दृष्टिगत, इस न्यायालय को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। ये सभी रिट याचिकाएं निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाए जाते हैं:-

(i) याचिकाकर्ता-संस्था उस अवधि के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की राशि का निर्धारण करेगी जिसके दौरान प्रत्यर्थी-कर्मचारियों ने याचिकाकर्ता-संस्था के साथ कार्य किया है।

(ii) उपदान और अवकाश नकदीकरण की ओर राशि को याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा उनके सहायता अनुदान के दृष्टिगत उनके हिस्से की सीमा तक लेखांकित किया जाएगा। उपदान और अवकाश नकदीकरण की कुल राशि की गणना करने के बाद, उसी का भुगतान प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को किया जाएगा और उसी का विवरण उनके द्वारा राज्य को भेजा जाएगा ताकि प्रत्यर्थियों की सेवानिवृत्ति के समय आवश्यक कार्य किया जा सके।

(iii) प्रत्यर्थी-कर्मचारियों की ओर देय संपूर्ण उपदान राशि का भुगतान याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा उस अवधि की सीमा तक किया जाएगा जब प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता-संस्था के रोजगार में रहे।

(iv) प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को उपरोक्त भुगतान करने के बाद, याचिकाकर्ता-संस्था इस संबंध में राज्य को विवरण भेजेगी ताकि प्रत्यर्थियों की सेवानिवृत्ति के समय आवश्यक कार्य किया जा सके।

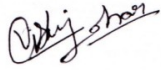
28. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन निपटाए जाते हैं।

29. लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढंड), जे

करण/308-333

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़